

राजस्थान सरकार  
कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक  
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक  
दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सख्त/टोंक/निविदा/2020/ ३५।

दिनांक :- १३-०३-२०२०

निदेशक,

निदेशालय सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग,  
सचिवालय राजस्थान, जयपुर।

विषय :- जब्तशुदा खनिज बजरी की सार्वजनिक निविदा विज्ञप्ति प्रकाशन बाबत।  
महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि जिला टोंक की तहसील पीपलू में राजस्व ग्राम ककराजखुर्द के खसरा नम्बर 202 रकवा 51.01 बीघा कीस्म चारागाह में आंगनबाड़ी केन्द्र के पास लगभग 5600 टन जब्तशुदा खनिज बजरी एवं राजस्व ग्राम ककराज कला के खसरा नम्बर 110/1 रकवा 15.07 बीघा कीस्म चारागाह पर अनुमानित मात्रा लगभग 2520 टन इस प्रकार कुल 8120 टल जब्तशुदा खनिज बजरी एवं जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के आस पास निजी खातेदरी सिचायचक एवं चारागाह भूमि पर कुल तीन अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 4000 टन जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक की सार्वजनिक निविदाएं, आमंत्रण हेतु विज्ञप्ति 8 आठ प्रतियों में मय सॉफ्टकापी संलग्न कर एक राज्य स्तरीय एवं एक जिलास्तरीय समाचार पत्र में प्रकाशन हेतु प्रेषित है।

भवदीय

मिलिक उस्तर  
(मिलिक उस्तर)

सहायक खनि अभियन्ता  
टोंक

दिनांक १३-०३-२०२०

क्रमांक खअ/जय/निविदा/2019/ ३५२-३६०

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. श्रीमान् जिला कलक्टर टोंक।
2. श्रीमान् पुलिस अधीक्षक टांक
3. श्रीमान् निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग राजस्थान उदयपुर।
4. वित्तीय सलाहकार, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग
5. नोडल अधिकारी डी एम जी ओ एम एस, निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग को विभागीय वेवसाईट पर अपलोड किये जाने हेतु।
6. श्रीमान् अतिरिक्त निदेशक खान, जयपुर क्षेत्र, जयपुर।
7. श्रीमान् अधीक्षण खनि अभियन्ता, जयपुर वृत, जयपुर।
8. श्रीमान् खनि अभियन्ता, जयपुर।
9. कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय हाजा।

मिलिक उस्तर  
(मिलिक उस्तर)

सहायक खनि अभियन्ता

टोंक

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक**  
खनिज भवन सिविल लाईन टोंक  
दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in


क्रमांक:- सख्त/टोंक/निविदा/2020/

दिनांक :-

**नीलामी सूचना प्रकाशन 04/2019-20**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जिला टोंक की तहसील पीपलू में राजस्व ग्राम ककराजखुर्द के खसरा नम्बर 202 रकबा 51.01 बीघा कीरम चारागाह मे आंगनबाड़ी केन्द्र के पास लगभग 5600 टन जब्तशुदा खनिज बजरी एवं राजस्व ग्राम ककराज कला के खसरा नम्बर 110/1 रकबा 15.07 बीघा किरम चारागाह पर अनुमानित मात्रा लगभग 2520 टन इस प्रकार कुल 8120 टल जब्तशुदा खनिज बजरी एवं जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के आस पास निजी खातेदरी सिचायचक एवं चारागाह भूमि पर कुल तीन अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 4000 टन जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे आमंत्रित की जाती है। उक्त नीलामी में भाग लेने हेतु नीलामी प्रपत्र राशि रु. 1,000/- का डी.डी./बैंकर्स चैक "सहायक खनि अभियन्ता, टोंक" के नाम से जमा कराकर किसी भी कार्यदिवस में दिनांक 30 मार्च 2020 (दोपहर 12.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक से प्राप्त किये जा सकते हैं।

उक्त जप्तशुदा खनिज बजरी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरें दिनांक 30 मार्च 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक प्राप्त की जायेंगी। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा 30 मार्च 2020 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष खोली जायेगी, नीलामी की शर्त एवं विस्तृत जानकारी किसी भी कार्यदिवस में कार्यालय समय में नोटिस बोर्ड पर कभी भी देखी जा सकती है एवं नीलामी की जानकारी विभागीय वेबसाईट पर भी उपलब्ध रहेगी।

  
सहायक खनि अभियन्ता टोंक

**राजस्थान सरकार**  
**कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता, खान एवं भूविज्ञान विभाग, टोंक**  
 खनिज भवन सिविल लाईन टोंक  
 दूरभाष नं. 01432-247640 email: ame.tonk@rajasthan.gov.in

क्रमांक:- सख्त/टोंक/निविदा/2020/

दिनांक :-

जिला टोंक की तहसील पीपलू में राजस्व ग्राम ककराजखुर्द के खसरा नम्बर 202 रकबा 51.01 बीघा कीस्म चारागाह मे आंगनबाड़ी केन्द्र के पास लगभग 5600 टन जब्तशुदा खनिज बजरी एवं राजस्व ग्राम ककराज कला के खसरा नम्बर 110/1 रकबा 15.07 बीघा कीस्म चारागाह पर अनुमानित मात्रा लगभग 2520 टन इस प्रकार कुल 8120 टल जब्तशुदा खनिज बजरी एवं जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के आस पास निजी खातेदरी सिचायचक एवं चारागाह भूमि पर कुल तीन अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 4000 टन जब्तशुदा बजरी स्टॉक की नीलामी हेतु सीलबंद लिफाफे में दरे दिनांक 30 मार्च 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टोंक सिविल लाईन टोंक के कमरा नं. 01 में आमंत्रित की जाती है। प्राप्त सीलबंद लिफाफे कमेटी द्वारा दिनांक 30 मार्च 2020 को सायकाल: 4.00 बजे उपस्थित नीलामी दरदाताओं के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर -1 में खोली जायेगी, जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

क्रम सं.	स्थान का विवरण जहां जप्त बजरी पड़ी हुई है	बजरी की अनुमानित मात्रा (टनों में)	बयाना/ अमानता राशि	न्यूनतम बोली राशि (रु.)
1	जिला टोंक की तहसील पीपलू में राजस्व ग्राम ककराजखुर्द के खसरा नम्बर 202 रकबा 51.01 बीघा कीस्म चारागाह मे आंगनबाड़ी केन्द्र के पास लगभग 5600 टन जब्तशुदा खनिज बजरी एवं राजस्व ग्राम ककराज कला के खसरा नम्बर 110/1 रकबा 15.07 बीघा कीस्म चारागाह पर अनुमानित मात्रा लगभग 2520 टन इस प्रकार कुल 8120 टल जब्तशुदा खनिज बजरी स्टॉक	(5600 + 2520) = 8120	4,46,600	44,66,000
2	जिला टोंक की तहसील देवली के राजस्व ग्राम रामथला के आस पास निजी खातेदरी सिचायचक एवं चारागाह भूमि पर कुल तीन अलग अलग ढेरिया अनुमानित मात्रा लगभग 4000 टन जब्तशुदा बजरी स्टॉक जब्तशुदा अवैध बजरी स्टॉक	4000	220000	2200000

नीलामी कार्यवाही हेतु शर्तें निम्नानुसार रहेगी :-

1. निविदा सीलबंद लिफाफे में प्रस्तुत करनी होगी। लिफाफे पर स्पष्ट रूप से क्षेत्र का नाम जहाँ बजरी पड़ी है, लिखा होना चाहिए। सभी निविदाएँ कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टॉक खनिज भवन, सिविल लाईन टॉक के कमरा नं. 01 पर रखे टेप्डर बॉक्स में दिनांक 30 मार्च 2020 (सायंकाल 2.00 बजे) तक डाली जा सकेगी।
2. प्रत्येक निविदा के साथ उपर वर्णितानुसार बयाना/अमानता राशि का डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर्स चैक जो सहायक खनि अभियन्ता, टॉक के नाम हो, निविदा प्रपत्र के साथ संलग्न करना होगा।
3. निविदा प्रपत्र के साथ इस आशय का शपथ पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, कि निविदादाता या फर्म, फर्म के भागीदारों/कम्पनी, कम्पनी के निदेशकों या उसके परिवार के सदस्यों के विरुद्ध विभाग की कोई राशि बकाया नहीं है।
4. जप्तशुदा बजरी की गुणवत्ता एवं मात्रा का निरीक्षण निविदा प्रस्तुत करने की तिथि से पूर्व किसी भी कार्य दिवस में मौके पर जाकर की जा सकती है।
5. जप्तशुदा बजरी मौके पर जैसी भी, जितनी भी, जहाँ भी है, उसी स्थिति में सफल निविदादाता को सुपुर्द की जावेगी।
6. प्राप्त निविदाएँ कमेटी द्वारा दिनांक 30 मार्च 2020 को सायंकाल 4:00 बजे उपस्थित निविदादाता के समक्ष कार्यालय के कमरा नम्बर 01 में खोली जायेगी एवं उच्चतम निविदादाता की घोषणा की जावेगी एवं उच्चतम निविदादाता को आदेश पत्र दिया जावेगा। आदेश प्राप्ति के 3 कार्य दिवस में सम्पूर्ण राशि जमा करानी होगी तथा राशि जमा होने की तिथि से नियत समायावधि में समस्त बजरी उठानी होगी। अन्यथा जमा राशि जब्त करते हुये बजरी पुनः राजकीय पक्ष में ले ली जायेगी।
7. निविदादाता को खनिज बजरी के स्टॉक को उठाने की कार्यवाही (लोडिंग, अनलोडिंग, लेबर व परिवहन इत्यादि) अपने स्तर पर ही करनी होगी। इसमें विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।
8. निविदादाता को एड्रेस प्रुफ, फोटो आईडी प्रुफ इत्यादि की प्रति, फर्म के मामले में फर्म का पंजीयन प्रमाण पत्र, भागीदारीनामा एवं मुख्यारनामा यदि जारी किया हुआ हो तथा कम्पनी के प्रकरण में मेमोरेण्डम ऑफ आर्टिकल, निदेशकों की सूची इत्यादि की प्रति साथ लाना होगा।
9. निविदादाता को आयकर विभाग के पेन नम्बर की प्रति संलग्न करनी होगी।
10. उच्चतम निविदादाता को बोली राशि के अलावा GST/Tax अतिरिक्त जमा कराना होगा।
11. नीलामी में प्राप्त निविदाओं को स्वीकार/अस्वीकार करने का अन्तिम निर्णय निविदा कमेटी का होगा तथा निविदा से संबंध में यदि कोई उज्ज्वल/आपत्ति होने पर निर्णय करने से संबंधित समस्त सर्वाधिकार निदेशालय द्वारा गठित कमेटी के पास सुरक्षित होंगे।
12. सफल निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण निविदा राशि जमा कराये जाने के उपरांत कार्यालय सहायक खनि अभियन्ता टॉक द्वारा वाहन के वजन क्षमता अनुसार रवन्ना जारी की जायेगी तथा खनिज के परिवहन की स्वीकृति प्रदान की जावेगी। कोई भी वाहन बिना रवन्ना के निर्गमित नहीं किया जा सकेगा।
13. सफलतम बोली दाता को परिवहन हेतु अवधि 5 दिवस सहित अधिकतम 6 दिवस ही अनुमत होगा।
14. 500 टन से अधिक खनिज बजरी को एक समय से कम से कम 10 वाहनों में विभागीय कार्मिक की उपस्थिति में भरकर व तुलवाकर ही परिवहन किया जा सकेगा। 500 टन से कम मात्रा के स्टॉक हेतु आवश्यक वाहनों की तदनुसार एक ही बार में व्यवस्था करनी होगी।
15. तुलाई के बाद वाहनों के निर्गमन से पूर्व उनका इन्द्राज विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक हेतु संधारित की जाने वाली स्टॉक पजिका में किया जायेगा। स्टॉक के बैलेस की गणना कर रजिस्टर की फोटो सम्बन्धित खनि अभियन्ता, अधीक्षण खनि अभियन्ता एवं अधीक्षण खनि अभियन्ता (सतर्कता) को Whats App पर भेजने के पश्चात ही खनिज निर्गमन की अनुमति होगी।
16. विभागीय कार्मिकों द्वारा नीलाम की गई बजरी के परिवहन में प्रयुक्त विभागीय रवन्ना वाहनों की फोटो एवं कम्प्यूटरीकृत/अधीकृत तुलायंत्र की वजन पर्ची क्षेत्र के सम्बन्धित ऊपर अंकित को Whats App पर भेजने के पश्चात ही वाहनों को रवाना किया जा सकेगा।
17. नीलाम की गई बजरी का पुनः भण्डारण / परिवहन अनुमत नहीं होगा। सफलतम बोलीदाता बजरी को सीधे ही उपयोगित स्थान पर परिवहन करेगा।

18. स्टॉक पर नियुक्त विभागीय कार्मिक द्वारा टॉक की फोटो वाहनों की तोल पर्चियाँ एवं भरे हुए वाहन की फोटो तत्काल बिना किसी विलम्ब के सम्बन्धित कार्यालय में प्रस्तुत की जायेगी।
19. स्टॉक को नियत समय में नहीं हटाने पर विभाग पुनः निलामी कर सकेगा। और इस मध्य में सफल बोलीदाता की कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
20. सफल बोलीदाता द्वारा खनिज के निर्गमन हेतु उपयोग किये जाने वाले वाहनों के पंजीयन की प्रति एवं वाहन चालक के ड्राईविंग लाईसेन्स की प्रति सम्बन्धित कार्यालय को प्रस्तुत करनी होगी। खनिज का परिवहन उक्त वाहनों के अतिरिक्त अन्य वाहनों से अनुमत नहीं होगा।
21. खनिज के परिवहन हेतु विभागीय कार्मिक द्वारा स्टॉक स्थल से प्रत्येक वाहन का मेन्यूअल रवन्ना जारी किया जावेगा।
22. खनिज के परिवहन में जीपीएस युक्त वाहनों को प्राथकिता दी जावेगी।

*मलिक उस्तर*  
 (मलिक उस्तर)  
 सहायक खनि अभियन्ता टोक  
 दिनांक :

क्रमांक:- सख्त/टॉक/नीलामी/2019/

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. निदेशक खान एवं भू विज्ञान विभाग, राजस्थान उदयपुर।
2. निदेशालय खान एवं भू विज्ञान विभाग उदयपुर की विभागीय वेबसाईट पर अपलोट किये जाने हेतु।
3. श्रीमान जिला कलेक्टर टॉक को मिटिंग दिनांक 6.3.2020 के निर्देशों की पालना में।
4. अतिरिक्त निदेशक (खान) जयपुर क्षेत्र जयपुर।
5. अधीक्षण खनि अभियन्ता जयपुर वृत्त जयपुर।
6. सूचना सहायक, कार्यालय हाजा को एसपीपी पोर्टल एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।

*मलिक उस्तर*  
 सहायक खनि अभियन्ता टॉक